

न्यायालय-एस.एस. सिसौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशोकनगर (म.प्र.)

आपराधिक प्र. क्र./आर.सी.टी. क्रं. -1657 / 10
संस्थापन दिनांक- 24.09.2010

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शासन पुलिस ईसागढ़,
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियोजन

बनाम

1. राजू उर्फ ठाकुर पुत्र गजराजसिंह गुर्जर,
उम्र-35 साल, निवासी- ग्राम पहाड़ा खुर्द,
थाना मायापुर, जिला शिवपुरी म.प्र. (फरार)
2. काशीराम पुत्र तोरन आदिवासी, उम्र-22 साल,
निवासी- ग्राम डगपीपरी थाना रन्नोद, जिला
शिवपुरी म.प्र. (फरार)
3. गौरी उर्फ चन्द्रभान पुत्र राजाराम गुर्जर,
उम्र-30 साल, निवासी- ग्राम वेदमउ, थाना
रन्नोद, जिला शिवपुरी म.प्र. (फरार)
4. फूलसिंह पुत्र दीना जाटव, उम्र-47 साल,
व्यवसाय-मजदूरी, निवासी- ग्राम पुरैनी, थाना
मायापुर, जिला शिवपुरी म.प्र.

.....अभियुक्त

—: : निर्णय : :—

(आज दिनांक 13/10/2017 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त पर दिनांक 18.07.2010 के करीब 12:00 बजे फरियादी का बाड़ा ग्राम कदवाया थाना ईसागढ़ अंतर्गत फरियादी महेश कुमार के आधिपत्य की दो भैंसे एवं दो पड़िया जो उसके बाड़े में बंधी थी, को बेईमानीपूर्वक ले लेने का आशय रखकर महेश कुमार के कब्जे से हटाकर चोरी का अपराध कारित करने बाबत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप है।
2. अभियोजन मामला इस प्रकार है कि, फरियादी महेश कुमार ने चौकी कदवाया आकर मौखिक रिपोर्ट की कि, उसकी भैंसे उसका हरवाई वीरसिंह चराता है। दिनांक 18.07.2010 को रात को करीब 7 बजे उसकी दो भैंसे व दो पड़िया

उसके बाड़े में बांध दी तथा नौकर वीरसिंह बाड़े में सो रहा था। रात को पानी बरसने से उसका नौकर वहां से उठकर मंदिर पर आकर सो गया गा था। सुबह उसने और उसके नौकर ने बाड़े में जाकर देखा तो भैसे व पड़िया नहीं दिखी। उन्हें रात में कोई अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया। उसने तथा उसके नौकर ने आसपास जंगल में सभी जगह ढूढ़ा और पता लाया, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला।

3. फरियादी की उक्त रिपोर्ट चौकी कदवाया के अपराध क्रं 046/10 धारा 379 भा.दं.सं. पर लेख की गई जिस पर से असल कायमी कर थाना ईसागढ़ के अपराध क्रमांक 265/10 धारा 379 भा.दं.सं. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। विवेचना के दौरान नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, जप्ती पंचनामा बनाये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाये गये तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना ईसागढ़ की ओर से चालान कता किया जाकर यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।
4. अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-380 के अंतर्गत आरोप पत्र लगाये जाने पर उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप अस्वीकार कर विचारण चाहा।
5. प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्तगण राजू काशीराम, गोटी उर्फ चन्द्रभान अनुपस्थित रहे। अतः आदेश दिनांक 19.04.2017 अनुसार अभियुक्तगण को फरार घोषित किया गया है। अभियुक्त फूलसिंह वर्तमान में उपस्थित है। अतः इसी उपस्थित अभियुक्त के संबंध में यह निर्णय घोषित किया जा रहा है। अभियुक्त फूलसिंह ने अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना प्रकट करते हुये बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

6. प्रकरण के निर्णयार्थ निम्न लिखित विचारणीय बिन्दु हैं :-

क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 18.07.2010 के करीब 12:00 बजे फरियादी का बाड़ा ग्राम कदवाया थाना ईसागढ़ अंतर्गत फरियादी महेश कुमार के आधिपत्य की दो भैंसे एवं दो पड़िया जो उसके बाड़े में बंधी थी, को बेईमानीपूर्वक ले लेने का आशय रखकर महेश कुमार के कब्जे से हटाकर चोरी का अपराध कारित किया ?

—: सकारण निष्कर्ष :—

7. अभियोजन की ओर से रामभरोसे जाट अ.सा.—1, महेश कुमार अ.सा.—2, सुरेशसिंह अ.सा.—3, वीरसिंह अ.सा.—4, महेन्द्र शर्मा अ.सा.—5, प्राणसिंह अ.सा.—6, केशरी अ.सा.—7, रामकृष्ण अ.सा.—8 एवं बृजबिहारी अ.सा.—9 के कथन करवाये हैं।

8. महेश कुमार अ.सा.—2 जो कि, फरियादी है, जिसने अपने कथनों में यह बताया है कि, घटना साक्ष्य प्रस्तुति से लगभग दो-ढाई वर्ष पूर्व की ग्राम कदवाया की है। उसने अपने बाड़े में भैंसे बांधी रखी थी जहां पर रात्रि के समय कोई अज्ञात व्यक्ति भैंसों को चुराकर ले गया जिनमें 3 भैंसे व एक छोटी पड़िया थी। जब सुबह जाकर उसने बाड़े में जाकर देखा तो भैंसे वहां पर नहीं थी। तब उसने चौकी कदवाया जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो प्र.पी.—2 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। एफ.आई.आर. प्र.पी.—2 के अवलोकन से यह प्रकट है कि, फरियादी द्वारा घटना दिनांक 28.07.2010 रात्रि 12:00 बजे की बताते हुये दिनांक 22.07.2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके संबंध में अनुसंधान अधिकारी सुरेशसिंह अ.सा.—3 ने अपने कथन में स्पष्ट किया है कि, फरियादी महेश चौकी कदवाया में घटना के दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी जबकि महेश कुमार अ.सा.—2 ने कथन चरण कं. 2 में यह कथित किया है कि, ऐसा नहीं हुआ था कि, रिपोर्ट घटना के 4 दिन बाद की थी, बल्कि स्वतः यह कथित किया है कि, घटना के दूसरे दिन सुबह रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।

9. घटना दिनांक 18.07.2010 की है तथा उक्त साक्षी दिनांक 16.11.2010 को परीक्षित हुआ है ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि, घटना की रिपोर्ट कौन से दिनांक को और घटना के कितने दिन बाद की गई थी आदि तथ्यों की पूर्ण जानकारी न हों किन्तु उक्त साक्षी द्वारा अत्यांतिक रूप से यह कथित किया है कि, घटना के दूसरे दिन ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी तथा यह स्वीकार किया गया है कि, प्रकरण में यदि 4 दिन बाद की रिपोर्ट लगी हो तो वह उसके बाद दर्ज नहीं कराई गई है। यह स्थापित विधि है कि,—“यदि विलंब से रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाता है तो अभियोजन के लिए विलंब घातक नहीं होगा।” जबकि फरियादी द्वारा विलंब से रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के तथ्य को स्पष्ट रूप से इंकार किया है तथा एफ. आई.आर. प्र.पी.—2 को स्पष्ट रूप से इंकार किया है जबकि कायमी कर्ता अधिकारी रामभरोसे अ.सा.—1 ने दिनांक 22.07.2010 को अपराध क्र. 46/10 के आधार पर असल कायमी अपराध क्र. 265/10 प्र.पी.—1 लेखबद्ध की थी। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है।
10. महेश कुमार अ.सा.—2 के कथन अनुसार पुलिस ने घटना स्थल पर आकर नक्शा मौका प्र.पी.—3 बनाया था और भैंसों की शिनाख्तगी करवाई थी तत्पश्चात उसे भैंसे सुपुर्दगी में दी थी। शिनाख्तगी पंचनामा प्र.पी.—4 के अनुप्रमाणक साक्षी बृजबिहारी अ.सा.—9 ने शिनाख्तगी पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किया है किन्तु उसके समक्ष शिनाख्तगी होने के तथ्य को स्पष्ट रूप से इंकार किया है और अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह कथित किया है कि, जब वह बस से उतर रहा था तब उससे पुलिस ने हस्ताक्षर करवा लिये थे। जिस साक्षी के समक्ष शिनाख्तगी कार्यवाही करवाई गई थी उसमें महेन्द्र शर्मा अ.सा.—5 जो कि, ग्राम पंचायत का सचिव है जिसने अपने मुख्यपरीक्षण में पंचायत भवन के बाड़े में भैंसों को रखा जाना और फरियादी से

शिनाख्तगी कराई जाना कथित किया है जबकि कथन चरण क्रं. 5 में शिनाख्तगी पंचनामा पुलिस के द्वारा ही बनाया जाना कथित किया है। शिनाख्तगी पंचनामा प्र. पी.-4 अनुसार कुल 4 भैंसे पंचायत भवन के बाड़े में थी और इन्हीं की शिनाख्तगी करवाई गई है। इसी प्रकार महेश कुमार अ.सा.-2 ने भी कथन किया है कि, शिनाख्तगी पंचनामा पर पुलिस ने उससे हस्ताक्षर करवा लिये थे। इस प्रकार शिनाख्तगी पंचनामा भी संदेहास्पद प्रतीत होता है।

11. अनुसंधान अधिकारी सुरेशसिंह अ.सा.-3 का कथन है कि, उसने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाकर धारा 27 का मेमोरेण्डम बनाया था तथा मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी फूलसिंह के घर से एक काले रंग की पड़िया जिसकी उम्र 3 वर्ष को जप्त कर प्र.पी.-10 का पंचनामा बनाया था तथा दिनांक 28.07.2010 को आरोपी गोटी उर्फ चन्द्रभान एवं काशीराम तथा राजू उर्फ ठाकुर के बताने पर वेदमहू के जंगल से तीनों भैंसों को जप्त कर प्र.पी.-11 का पंचनामा बनाया था। उक्त पंचनामा के अनुप्रमाणक साक्षी रामकृष्ण अ.सा.-8 ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है तथा कथन चरण क्रं. 3 में यह बताया है कि, पुलिस ने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे। इसी प्रकार प्राणसिंह अ.सा.-6 ने भी मेमोरेण्डम प्र.पी.-7, 8 एवं 9 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु आरोपीगण द्वारा मेमोरेण्डम उसके समक्ष किये जाने के तथ्य को स्पष्ट रूप से इंकार किया है।

12. वीरसिंह अ.सा.-4 ने भी अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं किया है तथा कथन चरण क्रं. 2 में यह कथित किया है कि, यदि भैंसे स्वयं निकलकर चली गई हों तो इस बात की जानकारी नहीं है जबकि उक्त साक्षी स्वयं ही फरियादी का खोड़ा जहां पर कि, भैंसें रखी गई थी, वहां स्वयं ही गया था और भैंसे खोड़े में नहीं थी, ऐसे ही कथन किये हैं। अनुसंधान अधिकारी सुरेशसिंह अ. सा.-3 ने मेमो के आधार पर वेदमहू के जंगल से भैंसे जप्त करना बताया है,

किन्तु उक्त भैसे किसी परिसर में बंद करके रखी गई थी या उन्हें जंगल में बांधा गया था ऐसे कोई कथन नहीं किये हैं अर्थात् अनुसंधान अधिकारी के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि, भैसों को खुले स्थान से जप्त की थी और उस समय उक्त भैसे किसी के कब्जे में नहीं थी। इस संबंध में न्यायदृष्टांत— **मुकेश साहू विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2003(1) सी.जी.एल.जे. 343** अवलोकनीय है जिसमें यह अभिमत दिया गया है कि, “खुले स्थान पर रखी सामग्री सबकी जानकारी में होने से यह नहीं माना जायेगा कि, अभियुक्त द्वारा उसे बरामद कराया गया एवं प्रकटीकरण कराया गया।”

13. महेश कुमार अ.सा.—2 का कथन है कि, उसने घटना के दूसरे दिन ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जबकि अनुसंधान अधिकारी सुरेशसिंह अ.सा.—3 के कथन अनुसार फरियादी द्वारा घटना के दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी तथा एफ.आई.आर. प्र.पी.—2 में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का दिनांक 22.07.2010 उल्लेखित है साथ ही शिनाख्तागी कराते समय चोरी गई चार भैसों में अन्य किसी भी भैस को नहीं मिलाया गया था तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा भैसों को जप्त करने के तत्काल पश्चात् फरियादी को सुपुर्दगी में भी दे दी थी तथा जिस भैसों को जप्त करना बताया है वह वेदमहू का खुला जंगल है और वीरसिंह के कथन अनुसार भैसे स्वयं ही चली गई हों तो इस तथ्य की जानकारी नहीं है। साथ ही अनुसंधान अधिकारी के कथन अनुसार अभियुक्तगण द्वारा भैसों के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी थी और उनकी निशादेही से ही मेमोरेंडम बनाये गये थे किन्तु फरियादी द्वारा एफ.आई.आर. एवं पुलिस कथनों से भिन्न कथन किये हैं। न्यायदृष्टांत— **चन्द्रकुमार कांकरिया विरुद्ध म.प्र. राज्य 2006 (3) एम.पी.एल. जे. 280** में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार “जब अभियुक्त द्वारा किसी तथ्य की जानकारी दी जाती है और उससे अनुसंधान अधिकारी द्वारा खोज की जाती है, लेकिन तथ्यों की खोज से विधि के अंतर्गत एक से अधिक अनुमान लगाये जा

सकते हैं, उस स्थिति में अभियुक्त को अपराध कारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।”

14. मेमोरेण्डम, जप्ती पंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा के अनुप्रमाणक साक्षी द्वारा अपने कथनों में यह बताया है कि, उन्होंने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे जबकि अपने समक्ष जप्ती कार्यवाही किये जाने के तथ्य को स्पष्ट रूप से इंकार किया है तथा यह भी कथन किया है कि, उक्त पंचनामे में वर्णित तथ्यों से उन्हें अवगत भी नहीं कराया गया है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **भरत विरुद्ध म. प्र. राज्य 2003(3) एम.पी.एल.जे. 292** अवलोकनीय है जिसमें यह अभिमत दिया गया है कि, “पुलिस के कहने पर जप्ती पत्र पर साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये ऐसी जप्ती विश्वसनीय नहीं है।” इस प्रकार एफ.आई.आर. प्र.पी.-2, शिनाख्तगी पंचनामा प्र.पी.-4, मेमोरेण्डम प्र.पी.-6 लगायत 9 एवं जप्ती पंचनामा प्र. पी.-10 के संबंध में साक्षी द्वारा अत्यंत ही विरोधाभासपूर्ण कथन किये हैं ऐसी स्थिति में अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
15. उपरोक्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों में अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः आरोपी फूलसिंह पुत्र दीना जाटव, उम्र-47 साल, व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-ग्राम पुरैनी, थाना मायापुर, जिला शिवपुरी, को भारतीय दंड संहिता की धारा- 380 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
16. आरोपी फूलसिंह के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
17. प्रकरण में जप्तशुदा चार भैंसों का निराकरण फरार आरोपी राजू उर्फ ठाकुर पुत्र गजराजसिंह गुर्जर, काशीराम पुत्र तोरन आदिवासी एवं गौरी उर्फ

चन्द्रभान पुत्र राजाराम गुर्जर की उपस्थिति के प्रक्रम पर किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया
गया।

एस.एस. सिसौदिया
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अशोकनगर (म.प्र.)

एस.एस. सिसौदिया
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अशोकनगर (म.प्र.)